न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 47 / 2024

1. सुखदेव सिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति राय सिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. प्रेम सिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति राय सिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. हरचरण सिंह पुत्र दीवान सिंह जाति राय सिख निवासी चंदूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

अपीलांट्स

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी दिनांक 24.09.2024 अन्तर्गत प्रकरण संख्या क्रमशः 6/2024, 5/2024 व 8 / 2024 क्रमशः प्रकरण शीर्षक "राज्य सरकार बनाम सुखदेव सिंह", "राज्य सरकार बनाम प्रेम सिंह" व "राज्य सरकार बनाम हरचरण सिंह" जिनके द्वारा चक 10 एनजीसी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 206 / 264 (53) के किला नम्बर 1 ता 5 में चल रहे खाला के अलावा शेष भूमि पर अपीलार्थीगण के द्वारा फसल काश्त कर लेने की अवस्था में उन्हें ऐसी भूमि पर अतिक्रमी होना मानकर मालगुजारी का 50 गुणा तावान, फसल को कुर्क करने, नष्ट करने के आदेश पारित किये गये। बमुराद मंसूखी आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः— 1. श्री बलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

—ःनिर्णयः—

दिनांकः—30.10.2024

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलाधीन तीनों आदेश जो दिनांक 24.09.2024 को पत्रावली संख्या 5/2024, 6/2024 व 8/2024 में पारित किये गये हैं। अपीलकृत तीनों आदेशों की विषयवस्तु व विवाद बिन्दु एक समान है, इसलिए इन सभी आदेशों को एक ही अपील के जरिये चुनौती दी गई है। संक्षेप में प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी की ओर से दिनांक 10.07.2024 को अपीलार्थीगण को अलग अलग नोटिस अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 प्रेषित कर चक 10 एनजीसी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 206/264 (53) के सुखदेव सिंह चक 10 एनजीसी के प० नं० 206 / 264 के 0.009 है० किला नं0 3/3/009 गै.मु. रास्ता रकबा 0.009, प्रेम सिंह की किला नम्बर 1/2/.017, 2/3/.017 रकबा 0.034 है0 तथा हरचरण सिंह की किला नम्बर 4/2/.017 5/2/.016 रकबा 0.033 है0 पर रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त करने के लिये अतिचार करने का आरोप लगाकर इससे बेदखल करने की कार्यवाही किये जाने से पूर्व अपना प्रस्तुत करे। अपीलार्थीगण ने [illegible] की प्रतिक्रिया में जवाब प्रस्तुत कर कथित गैरमुमकिन रास्ता की स्वयं को अ[illegible] के आरोप को खारिज किया व कथन किया कि मौका पर अर्सा से [illegible] नहीं है जबकि पूर्व में जो रास्ता स्वीकृत था, वहां सिंचाई विभाग के द्वारा [illegible] स्वीकृत किया हुआ है [illegible] पहले कच्चा था व अब उसे सीएडी स्कीम के अन्तर्गत पक्का बना दिया गया है। [illegible] कथन किया कि पत्थर नम्बर 206 / 264 के किला नम्बर [illegible] ता 5 में कथित गैरमुमकि[illegible] कभी नहीं चला है। अधीनस्थ न्यायालय ने तत्पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण गैरमुमकिन रास्ता की भूमि में खाला की भूमि को शेष कर नोटिस में वर्णित भूमि पर उन्हें अतिक्रमी घोषित कर दिया व भू–अभिलेख निरीक्षक हल्का बशीर को प्रश्नगत भूमि पर काश्त की गई फसल को कुर्क कर बहक सरकार लिये जाने एवं उक्त रकबा की फसल को नष्ट कर अपीलार्थीगण को बेदखल करने के लिये आदेशित किया व उक्त वर्णित रकबा [illegible] मालगुजारी का 50 गुणा तावान कायम किया व पटवारी हल्का को तावान की राशि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.23 13:26:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

वसूल करने के भी आदेश दिये। अपीलकृत आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण निम्न आधारों पर यह अपील पेश करते हैं:–

अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। आज से करीब 30 वर्षों से अधिक समयावधि से मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है जबकि रास्ता की भूमि जो निर्धारित की गई थी उस पर सिंचाई विभाग ने धोरी खाला स्वीकृत कर चक 10 एनजीसी के चक प्लान में दर्शित कर दिया। पूर्व में खाला कच्चा था जिसे अब सीएडी विभाग ने पक्का निर्मित कर दिया है। राजस्व विभाग ने रास्ता की भूमि पर खाला स्वीकृत किये जाने की सिंचाई विभाग की कार्यवाही का कभी विरोध नहीं किया। धोरी खाला की चौड़ाई भी .025 हैक्टेयर प्रतिबीघा निर्धारित है इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से खाला की भूमि के अस्तित्व में आने से गैरमुमकिन रास्ता स्वयं ही निरस्त हो चुका है परन्तु तहसीलदार टिब्बी ने गैरमुमकिन रास्ता का इन्द्राज लापरवाहीपूर्वक राजस्व अभिलेख से नहीं हटाया। इस प्रकार प्रत्यर्थी तहसीलदार को सिंचाई विभाग की खाला की भूमि के सम्बंध में बेदखली की कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही मूलतः नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के समक्ष मौका निरीक्षण नहीं किया व न ही काश्त की गई फसल का कुन्ता किया। अपीलार्थीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया बल्कि इसके विपरीत अपीलार्थीगण के विरूद्ध पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर उन्हें प्रारम्भ से ही अतिक्रमी मानने की सोच अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो सकारण आदेशों की श्रेणी में नहीं आते हैं। प्रत्यर्थी ने जरिये जवाब उठाये गये तथ्यात्मक व विधि के प्रशनों का गुणावगुणों पर निर्णय नहीं किया है। तहसीलदार ने खाला की भूमि को 5 फीट की होना मानकर तथ्यात्मक व विधिक भूल की है जबकि 5 फीट चौड़ाई में खाला पक्का बना है व उसके दोनों तरफ 6–6 फीट का भू–भाग खाला की भूमि का है जिसमें दोनों ओर मिट्टी लगाने का प्रावधान रखा गया है।

अपीलार्थीगण के द्वारा खाला की भूमि में काश्त करने की कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रत्यर्थी के सामने नहीं थी। अपीलकृत आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूल सिद्धांतों के पूर्णतया विपरीत होने से प्रभावशुन्य है। मौके पर रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं है इसी वजह से पूर्व में रास्ता नहीं चला। वस्तुतः इस कथित रास्ता के दोनों ओर कोई रास्ता जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा पत्थर नम्बर 204 / 264, 205 / 264 से 208 / 264 के दक्षिण में नहर विद्यमान है, जिसकी पटड़ी पर आवागमन हेतु सरकार द्वारा पक्की सड़क बनाई हुई चल रही है। इस सड़क से पत्थर नम्बर 205 / 264 के किला नम्बर 4, 7, 14, 17, 24 के पूर्वी तरफ गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है जो चल रहा है। इसी रास्ता से उत्तर दिशा के काश्तकार सर्व श्री वली मोहम्मद, तुफैल मोहम्मद नसीम, सलीम आदि अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते हैं। ऐसी अवस्था में प्रश्नगत रास्ता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी और इसी वजह से प्रश्नगत रास्ता हमेशा बन्द ही रहा व वहां खाला स्वीकृत हो गया।

जिस भूमि की फसल को कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं वे रास्ता की न होकर धोरी खाल की अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड रावतसर के अधिकार क्षेत्र की है। अधिशाषी अभियंता ने अपनी ओर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने का कोई प्रतिवेदन प्रत्यर्थी को नहीं भेजा गया है। अपीलार्थीगण ने किसी भी गैर मुमकिन भूमि पर काश्त नहीं की है बल्कि स्वयं की मुमकिन व काश्त योग्य खातेदारी भूमि पर ही काश्त किया है परन्तु प्रत्यर्थी ऐसे आदेशों की आड़ में अपीलार्थीगण की काश्त योग्य अधिकारिक भूमि की फसल को कुर्क करने एवं उससे बेदखल करने की अविधिक कार्यवाही कर रहे हैं जो गलत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशात दिनांक 24.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.23 13:26:46 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। आज से करीब 30 वर्षों से अधिक समयावधि से मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है जबकि रास्ता की भूमि जो निर्धारित की गई थी उस पर सिंचाई विभाग ने धोरी खाला स्वीकृत कर चक 10 एनजीसी के चक प्लान में दर्शित कर दिया। पूर्व में खाला कच्चा था जिसे अब सीएडी विभाग ने पक्का

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

निर्मित कर दिया है। राजस्व विभाग ने रास्ता की भूमि पर खाला स्वीकृत किये जाने की सिंचाई विभाग की कार्यवाही का कभी विरोध नहीं किया। धोरी खाला की चौड़ाई भी .025 हैक्टेयर प्रतिबीघा निर्धारित है इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से खाला की भूमि के अस्तित्व में आने से गैरमुमकिन रास्ता स्वयं ही निरस्त हो चुका है परन्तु तहसीलदार टिब्बी ने गैरमुमकिन रास्ता का इन्द्राज लापरवाहीपूर्वक राजस्व अभिलेख से नहीं हटाया। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशात दिनांक 24.09.2024 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ द्वारा प्रकरण सं0 05/2024 अनवानी राज्य सरकार बनाम प्रेम सिंह पुत्र मुंशा सिंह जाति रायसिख साकिन चन्दुरवाली अंतर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की अंतर्गत धारा 22 के के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली अवलोकन करने व उभय पक्षकारान की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया किः—

1. पटवार हल्का की रिपोर्ट के अनुसार चक 10 एनजीसी तहसील टिब्बी के पत्थर नम्बर 206/264 (53) के सुखदेव सिंह चक 10 एनजीसी के प० नं० 206 / 264 के 0.009 है० किला नं0 3/3/009 गै.मु. रास्ता रकबा 0.009, प्रेम सिंह की किला नम्बर 1/2/.017, 2/3/.017 रकबा 0.034 है0 तथा हरचरण सिंह की किला नम्बर 4/2/.017 5/2/.016 रकबा 0.033 है0 पर गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के प्रकरण संख्या क्रमशः 6/2024, 5/2024 व 8/2024 क्रमशः प्रकरण शीर्षक "राज्य सरकार बनाम सुखदेव सिंह", "राज्य सरकार बनाम प्रेम सिंह" व "राज्य सरकार बनाम हरचरण सिंह" में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की अंतर्गत धारा 22 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 के अनुसार अतिक्रमित गै0मु0 रास्ता (स्वीकृत खाले की भूमि को छोड़कर) भूमि पर काश्त फसल को कुर्क किया जाकर उक्त रकबे पर से फसल नष्ट करते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है।
2. जमाबंदी प्रतिलिपि अंतिम चौसला आधार संवत 2075—2078 में उक्त भूमि प्रार्थीयान की खातेदारी भूमि है। तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के निर्णय दिनांक 24.09.24 द्वारा उक्त भूमि पर काश्त फसल को कुर्क किया जाकर उक्त रकबे पर से फसल नष्ट करते हुए बेदखल के आदेश दिये गये हैं, जो कि रिकार्ड के विपरीत आदेश दिया गया है।

उक्त विवेचन से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी के प्रकरण संख्या क्रमशः 6/2024, 5/2024 व 8/2024 क्रमशः प्रकरण शीर्षक "राज्य सरकार बनाम सुखदेव सिंह", "राज्य सरकार बनाम प्रेम सिंह" व "राज्य सरकार बनाम हरचरण सिंह" में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की अंतर्गत धारा 22 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 राजस्व रिकार्ड के विपरीत पाये जाने के कारणे अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10

(उम्मेदी लाल मीना)

अपर जिला कलक्टर

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.23 13:26:46 IST
Reason: SelfAttested